दिनांक 15.09.2017 को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य-स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-संलग्न।

1. निदेशालय स्थित सभी प्रशाखाओं को निदेश दिया गया कि राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक के पूर्व सभी प्रमंडलों/जिलों को ई-मेल के माध्यम से समीक्षा के बिन्दुओं की Power Point Presentation एवं जिलों के कार्यो की अद्यतन स्थिति को उपलब्ध करायें ताकि क्षेत्रीय पदाधिकारी इसके अनुरूप तैयार कर बैठक मे उपस्थित हो सकें।

अनुपालनः- निदेशालय स्थित सभी प्रशाखा

2. **स्थापना** :-

(i) सभी प्रमंडलों एवं जिलों को प्रत्येक शीर्ष में आवंटित राशि की निकासी/व्यय की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि आवंटित राशि की निकासी/व्यय की स्थिति अत्यन्त दयनीय है एवं अधिकांश क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा राज्य योजना मद में आवंटित राशि का व्यय शून्य है। निदेश दिया गया की आवंटित राशि का शत्प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करें एवं प्रत्येक माह का व्यय विवरणी निदेशालय को निर्धारित अवधि में लभ्य करावें। साथ ही जहाॅं से उक्त प्रतिवेदन लंबित है वहाॅं के नियंत्री पदाधिकारी का वेतन रोकने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः- सभी प्रमंडल/जिला एवं बजट शाखा निदेशालय

(ii) सभी जिलों को वर्षामापक यंत्र के अधिष्ठापन हेतु 30-40 स्थान Longitude-Latitude के साथ चयनित कर निदेशालय को शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही वर्षामापक यंत्र के अधिष्ठापन हेतु आवंटित राशि का व्यय शीघ्रताशीघ्र करते हुए व्यय प्रतिवेदन निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः- सभी जिला

(iii) सभी प्रमंडलों/जिलों को वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC-42A में आवश्यक अनुलग्नकों सहित प्रतिहस्ताक्षर हेतु दिनांक 22.09.17 तक निदेशालय को लभ्य कराने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालनः- सभी प्रमंडल/जिला

(iv) जिन प्रमंडल/जिला में महालेखाकार/वित्त विभाग द्वारा किये गये अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन लंबित है उन्हें एक पक्ष के अन्दर सभी लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन अनुलग्नकों/साक्ष्यों सहित निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः- संबंधित सभी प्रमंडल/जिला

(v) कई क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वेतनादि मद में अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। निदेश दिया गया की नयें वेतनमान के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवश्यक राशि हेतु अतिरिक्त मांग पत्र एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः- संबंधित सभी प्रमंडल/जिला

(vi) निदेशालय द्वारा सभी पदाधिकारियों/कर्मियों का ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी., प्रोन्नति एवं संपुष्टि से संबंधित कार्य किया जा रहा है। इस हेतु प्रत्येक प्रमंडल/जिलों में कार्यरत सभी कर्मी का अद्यतन वार्षिक कार्य ब्यौरा एवं सेवा इतिहास शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालनः- सभी प्रमंडल/जिला

3. **कृषिः-**

(i) सभी प्रतिभागियों को CCE Agri. app. के बारे में जानकारी दी गयी साथ ही सूचित किया गया कि खरीफ मौसम 2017-18 के बीमीत फसलों के फसल कटनी प्रयोग में इसका उपयोग अनिवार्य (Mandatory) है। इस संबंध में स्थानान्तरित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अविलंब नये स्थान पर जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी के रूप में Registration करते हुए अनुमोदन के लिए प्रेषित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः- सभी जिला

(ii) भदई मकई के सभी फसल कटनी प्रयोग के आंकड़ों को CCE Agri. app. के माध्यम से भारत सरकार के पोर्टल पर निर्धारित समय-सीमा के अन्दर अनिवार्य रूप से अपलोड करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः- सभी जिला

(iii) कृषि सांख्यिकी से संबंधित सभी प्रतिवेदन यथा-फसल कटनी प्रयोग, जिन्सवार, प्रक्षेत्र मूल्य, भूमि उपयोग विवरणी एवं फसल सांख्यिकी सुधार से संबंधित प्रतिवेदन के लंबित सूची के आधार पर समीक्षा करते हुए सभी लंबित प्रतिवेदन दिनांक 25.09.17 तक निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः- सभी जिला

(iv) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पूर्णियाँ, अररिया, कटिहार एवं किशनगंज को जूट फसल कटनी प्रयोग वर्ष 2017-18 का कार्यक्रम ICAR-IASRI के पदाधिकारी को अविलंब लभ्य कराते हुए उक्त एर्जेन्सी के पदाधिकारियों को जॉच में सहयोग प्रदान करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः- संबंधित जिला

(v) वर्षापात के आंकड़ों को ऑनलाईन प्रविष्टि करने हेतु सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को पावर प्वांईट द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को वर्षापात के आंकड़ों को संबंधित वेवसाईट पर प्रविष्टि करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः- सभी जिला

4. **लघु सिंचाईः-**

(i) पंचम लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2013-14 हेतु जिलों को प्रगणक के मानदेय मद में आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग मदवार की गयी है। यह अररिया, अरवल, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, जमुई, कटिहार, किशनगंज, मुंगेर, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल एवं प0 चम्पारण से अप्राप्त है। इन्हें यह भी सूचित किया गया है कि पर्यवेक्षकों को मानदेय मद का भुगतान नहीं किया जाना है।

अनुपालनः- संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(ii) पंचम लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2013-14 का क्षेत्रीय गणना कार्य की समाप्ति की सूचना जिला अररिया, औरंगाबाद, बांका, भोजपुर, दरभंगा, गया, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सुपौल एवं प0 चम्पारण से अप्राप्त है। इन जिलों को अविलंब प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालनः- संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

5. <u>रान्यास</u>:-

(i) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 75वें सत्र के प्रथम उपसत्र के कार्यो की समीक्षा की गयी। निदेश दिया गया कि प्रथम उपसत्र में सभी आवंटित प्रतिदर्शो का सर्वेक्षण माह सितम्बर, 2017 तक निश्चित रूप से सम्पन्न कर लिया जाय।

अनुपालनः- रान्यास से संबंधित सभी जिला

(ii) प्रत्येक माह के सर्वेक्षित सभी प्रतिदर्शो की भरी हुई अनुसूचियाँ निदेशालय को अनुवर्ती माह के 7वीं तारीख तक लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः- रान्यास से संबंधित सभी जिला

(iii) प्रत्येक माह का भ्रमण कार्यक्रम एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन का समीक्षा किया गया यह पाया गया की भ्रमण कार्यक्रम एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन ससमय निदेशालय को लभ्य नहीं हो पा रहे है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि भ्रमण कार्यक्रम एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालनः- रान्यास से संबंधित सभी जिला

(iv) समीक्षा के दौरान क्षेत्रीय निरीक्षण की स्थिति दयनीय पायी गयी। इस संबंध में क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप निरीक्षण करने तथा निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशालय को ससमय लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

6. <u>जीवनांक:-</u>

(i) जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संबंधित मासिक प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। उक्त प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक निदेशालय को लभ्य होना निर्धारित है। परंतु माह अगस्त-2017 का प्रतिवेदन दिनांक 14.09.2017 तक मात्र 28 जिलों से प्राप्त हुआ है। शेष सभी जिलों को दो दिनों के अन्दर उक्त प्रतिवेदन लभ्य कराने का निदेश दिया गया। साथ ही संबंधित प्रतिवेदन का सारांश विहित प्रपत्र में प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक अचूक रूप से निदेशालय को लभ्य कराने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालनः- संबंधित जिला/सभी जिला

(ii) जन्म रजिस्ट्रीकरण से संबंधित 10 न्यूनतम उपलब्धि वाले जिलों में त्वरित प्रगति हेतु निदेशालय से टीम गठित करते हुए संबंधित जिलों में भ्रमण करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः-निदेशालय

(iii) सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को जन्म रजिस्ट्रीकरण के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्व माह दिसम्बर-2017 तक 80 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि प्राप्त करने हेतु स्पष्ट निदेश दिया गया।

अनुपालनः- सभी जिला

(iv) राज्य में किसी प्रकार के मेले का आयोजन होने पर उक्त मेले में जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण से संबंधित व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निदेश दिया गया।

अनुपालनः- सभी प्रमंडल/सभी जिला

(v) जिन नगर निकायों में जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण E-municipality website से किया जा रहा है। उससे संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी-सह-जिला रजिस्ट्रार से संपर्क स्थापित कर यथाशीघ्र CRS website पर रजिस्ट्रीकरण प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया जाय।

अनुपालनः- संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(vi) CRS तथा SSS प्रशिक्षण, हॉर्डिंग द्वारा प्रचार-प्रसार, MCCD प्रशिक्षण, UNICEF द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण राशि एवं मानव बल (कार्यपालक सहायक) हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक स्थिति में इस माह के अंत तक निदेशालय को लभ्य कराने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालनः- सभी जिला

(vii) प्रायः क्षेत्रीय पदाधिकारी समीक्षात्मक बैठक में पूर्ण तैयारी के वगैर उपस्थित होते है। इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि अगामी बैठकों में लंबित सभी प्रतिवेदनों एवं कार्यावली के अनुरूप पूर्ण तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित हों।

अनुपालनः- सभी प्रमंडल/सभी जिला

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

ह0/-
(पूनम)
निदेशक।

ज्ञापांकः-DES(योजना शाखा) 07/2016/ /पटना, दिनांकः-

प्रतिलिपिः-1. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव।

2. वरीय संयुक्त निदेशक/सभी उप निदेशक (मुख्यालय एवं क्षेत्र)/सभी सहायक निदेशक(स्थापना सहित)/प्रशाखा पदाधिकारी(स्थापना)-1 एवं 2/ प्रभारी, निदेशक कोषांग(मुख्यालय)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि कार्यवाही में उल्लेखित कंडिकाओं का अनुपालन कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब प्रेषित की जाय।

ह0/-
निदेशक।

ज्ञापांकः-DES(योजना शाखा) 07/2016/1574/पटना, दिनांकः- 20.09.17

प्रतिलिपिः- श्री सुदामा कुमार, आई.टी. मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/9/17
निदेशक।

(11) proced.of st. lev. 15-09-17 Mk.singh